राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:	ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या:	360 / 2025
निर्णय दिनांक:	22.01.2026
जीसीएमएस सं0:	2025 / 525
दायर दिनांक:	29.10.2025

1. रघुनाथ पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट एवं 88 आरटी एक्ट

उपस्थिति

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु।
2. राज पैरोकार।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम मगरासर तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 278 के खसरा नम्बर 671 / 540 तादादी 4.5522 है0 एवं खाता सख्या 98 के खसरा संख्या 179 रकबा 1.6438 है0, 204 रकबा 0.5690 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.9473 है0, ख0सं0 543 / 177 रकबा 0.4425 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रूघनाथ पुत्र नानूराम अंकित है जबकि प्रार्थी का सही नाम रघुनाथ पुत्र नानू राम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही गनोडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादगत भूमि ग्राम मगरासर की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रूघनाथ पुत्र नानूराम दर्ज है जो गलत है जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रघुनाथ पूत्र नानूराम है। रूघनाथ व रघुनाथ दोनों एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रूघनाथ की बजाय रघुनाथ दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रघुनाथ पुत्र नानू राम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 278 के खसरा नम्बर 671/540 तादादी 4.5522 है0 एवं खाता सख्या 98 के खसरा संख्या 179 रकबा 1.6438 है0, 204 रकबा 0.5690 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.9473 है0, ख0सं0 543/177 रकबा 0.4425 है0 में प्रार्थी का नाम रूघनाथ पुत्र नानूराम के स्थान पर रघुनाथ पुत्र नानू राम दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़, जिला–चूरू

ओमप्रकाश धोटिया ए०